कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1192 / 2022 / 10–11 / 5189 भोपाल, दिनांक 06/12/2023

प्रेषक :–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत भैंसवाही से जल्दीडांड तक सड़क निर्माण कार्य किए जाने हेतु 9.912 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 9.954 हे.) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण क्रमांक / FP/MP/ROAD/155407/2022)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPR030/2023-BHO दिनांक 03.10.2023 .

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 10 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Alternative alignment of proposed diversion area is required. However, the proposed road is overlay on existing pathway shall be rectified/ clarified.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग का निर्माण नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्तावित सड़क का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
2	Full KML file of layout plan of forest area and non forest area (full project KML file) shall be submitted /uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण की पूर्ण KML file ऑनलाईन भाग–1 में अपलोड कर दी गई है।
3	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि इस कार्य में जो मलबा निकलेगा उसका उपयोग मार्ग निर्माण में ही किया जायेगा। आवेदक संस्थान द्वारा muck disposal scheme प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
4	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा वन मण्डलाधिकारी उत्तर बालाघाट के हस्ताक्षर सहित Justification प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।

5	No objection certificates of concerned department (WRD, TL, OFC etc) shall be submitted.	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि उक्त प्रकरण केन्द्र प्रयोजित योजना एवं नक्सल क्षेत्र में मार्गों के निर्माण से संबंधित होने के कारण आवश्यक नहीं है। उक्त प्रकरण में किसी भी विभाग की कोई परियोजना नहीं गुजर रही है। अतः प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
6	CA scheme and KML file of CA area of 30.00 ha of degraded forest land shall be uploaded.	प्रकरण में वनभूमि पर वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित 30.00 हेक्टेयर की KML file के स्थान पर 47.00 हेक्टेयर की KML file अपलोड की गई है। प्रस्तावित क्षेत्र में से कुछ भाग सघन होने के कारण 47.00 हेक्टेयर क्षेत्र में फैंसिंग की जावेगी एवं वृक्षारोपण का कार्य वास्तविक 30.00 हेक्टेयर में ही किया जावेगा। KML file एवं वृक्षारोपण योजना ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड कर दी गई है।
7	Administrative approval / Sanction letter of the project shall be submitted .	आवेदक संस्थान द्वारा म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 01.04.2022 प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
8	As per DSS analysis, some part of forest area does not included in proposal shall be rectified.	आवेदक संस्थान द्वारा संशोधित KML file भाग–1 में अपलोड कर दी गई है।
9	As per DSS analysis, the proposed area is 7.09 km away from Kanha Tiger Reserve. Comments of CWLW shall be submitted	प्रकरण में आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि वन्यप्राणी अभिमत की कार्यवाही प्रचलित है।
10	Since number of proposal are submitted for construction of various roads in Balaghat District, consolidated area of which exceeds 40 ha, the said sites shall be inspected by concerned CF/CCF as well and SIR be submitted.	इस संबंध में वन संरक्षक बालाघाट ने पूर्व में अन्य प्रकरणों में अवगत कराया गया था कि किसी भी मार्ग निर्माण में 40.00 हेक्टेयर से अधिक वनक्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः SIR रिपोर्ट की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एच.एस. मोहन्ता)

-3-

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1192 / 2022 / 10–11 / 5190 भोपाल, दिनांक 06/12/2023

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।

2– वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, उत्तर बालाघाट, मध्यप्रदेश।

3– महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बालाघाट, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

06.12.23

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल